न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या 76/2022

उनवान
1. श्री कालू पुत्र श्री चुन्नी लाल अहीर नि0 तख्तपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. माधु पुत्र श्री चुन्नी लाल अहीर नि0 तख्तपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. रतन पुत्र श्री चुन्नी लाल अहीर नि0 तख्तपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।

---प्रार्थीगण

बनाम
1. श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री जगना लाल अहीर नि0 तख्तपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. सीताराम पुत्र श्री रता अहीर नि0 तख्तपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. शंकर पुत्र श्री नाना अहीर नि0 तख्तपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. नारायण पुत्र श्री मांगी लाल अहीर नि0 तख्तपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. देवी लाल पुत्र श्री मांगी लाल अहीर नि0 तख्तपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. शंकर लाल श्री मांगी लाल अहीर नि0 तख्तपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 16.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भूॅ–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 03.06.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम तख्तपुरा प.ह. तख्तपुरा भू.अ.नि. हमीरगढ तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में खाता संख्या 70 की आ.न. 805/2 रकवा 0.2276है0, आ.न. 827 रकवा 0.9484है0, कुल किता 2 कुल रकवा 1.176 है0 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 03.06.2023 को पंजीवद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी सख्या 01 लगायत 06 वावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत वहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम तख्तपुरा प.ह. तख्तपुरा भू.अ.नि. हमीरगढ तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में खाता संख्या 70 की आ.न. 805/2 रकवा 0.2276है0, आ.न. 827 रकवा 0.9484है0, कुल किता 2 कुल रकवा 1.176 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 500/–पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 16.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ